

Order Sheet [Contd]

Case No.

23/11/2023

Date of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

9.12.11

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 08.07.17 में पेश।

परिवादी सहित अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित, परिवादी के राजीनामा आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। परिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा की गयी।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

परिवादी ने राजीनामा आवेदन के माध्यम से निवेदन किया है कि उसने अभियुक्त की स्थिति को देखते हुए चैक राशि में न्यायालय के बाहर प्राप्त कर लिए हैं, अन्य राशि में से कुछ लेना देना शेष नहीं हैं। अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर धारा 138 एनआई0 एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि न्यायालय की अनुमति से शमनीय हैं।

न्यायदृष्टांत दामोदर एस.प्रभु विरुद्ध सैयद बाबा लाल ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 1907 तीन न्याय मूर्ति गण की पीठ के मामले में समझौते पर निम्नानुसार परिव्यय लगाने के निर्देश दिये हैं :-

1. यदि अभियुक्त प्रकरण का सूचना पत्र मिलने के बाद पहली या दूसरी सुनवाई पर समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तब उस पर कोई परिव्यय नहीं लगाया जायेगा।
2. यदि अभियुक्त पहली या दूसरी सुनवाई तिथि के बाद विचारण न्यायालय में समझौता आवेदन लगाता है तो उस पर चैक की राशि का दस प्रतिशत परिव्यय लगाया जा सकेगा।

उक्त परिव्यय जिस स्तर के न्यायालय पर समझौता होता है वहां के विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाना होता है। लेकिन न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कारण लिखते हुए उक्त परिव्यय कम कर सकती है।

"Caselaw:- Madhya Pradesh State Legal Services Authority v. Prateek Jain and another (2014) 10 SCC 690 ; 2015 (2) MPLJ 104 : JT 2014 (10) SC 413 में लोक अदालत में हुए राजीनामे को सद्भाविक आचरण को देखते हुए परिव्यय राशि को अधिरोपित किए जाने हेतु निर्देश दिया गया है।

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

Syed Khan

Identified by me

Prateek Jain

22.12.23
6888
1700512

Date of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Pleadings
Necessary

दिनांक 27.07.17

दिनांक 27.07.17

संबंधित न्यायालय का नाम

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में इस प्रकरण को देखने से यह दर्शित है कि प्रकरण दिनांक 13.06.17 को पंजीबद्ध हुआ जिसमें दिनांक 27.07.17 को अभियुक्त उपस्थित हो गया साथ ही निरंतर कार्यवाही में भाग लिया अभियुक्त ने फरियादी के साथ स्वतः राजीनामा कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है, किसी प्रकार का विलंब कारित होना दर्शित नहीं हैं। प्रकरण में अभी अपराध विवरण भी विरचित नहीं हुआ है इस प्रकार से प्रकरण प्रारंभिक अवस्था में है एवं 6 माह से कम समय व्यतीत हुआ है। पक्षकार राजीनामा हेतु तत्पर रहे हैं। उनके द्वारा शीघ्र निराकरण में सहयोग किया गया है। लोक अदालत पीठ सदस्यगण द्वारा भी अनुशंसा सहित अभियुक्त पर परिव्यय राशि को कम किए जाने के लिए न्यायोचित आधार माना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अभियुक्त से राजीनामा स्वीकार किए जाने हेतु न्यायोचित आधार हैं। साथ ही परिव्यय राशि चैक राशि के दस प्रतिशत से न्यून कर 1700 रुपये के रूप में आदेशित किए जाने हेतु उचित आधार पाया जाता है। अतः अभियुक्त 1700 रुपये की राशि परिव्यय के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए तो राजीनामा स्वीकार किया जावे।

राशि जमा करने के उपरांत प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।

प्रीतजीत अग्रवाल

पुनश्च:

पक्षकार पूर्ववत।

अभियुक्त के द्वारा रसीद क्रमांक 05 बुक क्रमांक 6888 पर 1700 रुपये जमा कर रसीद प्रस्तुत की।

धारा 147 एन0आई0 एक्ट के अधीन राजीनामा स्वीकार किए जाने हेतु न्यायोचित आधार हैं। अतः बाद तस्दीक राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त सोहेल खॉन पुत्र शाकिर खॉन को चैक क्र0 235538 दिनांक 15.02.17 राशि 1,71,000 रुपये के संबंध में धारा 138 एन0आई0 एक्ट के आरोप से राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

लोक अदालत में राजीनामा संपन्न होने से परिवादी के पक्ष में न्यायशुल्क वापसी हेतु प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेजा जावे।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

प्रीतजीत अग्रवाल

Syad Khan